न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

राजस्व वाद संख्या :46 / 2024
निर्णय दिनांक : 28.09.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 79 दायर दिनांक – 08.04.2024

1. केशु राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवारी मगरारार तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. किशना राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवारी मगरारार तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
3. बना राम पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
4. रघुनाथ पुत्र नानू राम जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादीगण

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

...............प्रतिवादी

दावा वावत राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती

उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

उपस्थित :–
1. श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 120 खसरा संख्या 123 तादादी 1.7703 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 तादादी 3.0095 हैक्टेयर व खसरा संख्या 751 / 96 तादादी 3.6417 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 161 के खसरा संख्या 209 तादादी 9.5090 हैक्टेयर तथा खेत खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 752 / 96 तादादी 0.6196 हैक्टेयर वाके रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी के पिता नानू राम के स्वर्गवास के पश्चात् वादगत खेतों का विरासतन इन्तकाल दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से खसरा संख्या 123, 189 व 751 / 96 में वादी संख्या 01 का नाम केशुराम पुत्र नानू, वादी संख्या 02 का नाम किसना पुत्री नानू, वादी संख्या 03 का नाम बनाराम पुत्र नानू व वादी संख्या 04 का नाम रूगनाथ पुत्र नानू के नाम 1 / 5 हिस्से एवं खसरा संख्या 209 में वादी संख्या 01 का नाम केशाराम पुत्र नानुराम, वादी संख्या 02 का नाम किसनाराम पुत्र नानुराम, वादी संख्या 03 का नाम बन्नाराम पुत्र नानुराम व वादी संख्या 04 का नाम रूघनाथ पुत्र नानुराम के 1 / 7 हिस्से तथा खसरा संख्या 752 / 96 में वादी संख्या 01 का नाम केशुराम पुत्र नानू, वादी संख्या 02 का नाम किसना पुत्र नानू व वादी संख्या 04 का नाम रूगनाथं पुत्र नानू 1 / 3 हिस्से

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

को खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादीगण का वास्तविक नाम केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानूराम व रघुनाथ पुत्र नानू राम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादीगण का नाम खसरा संख्या 123, 189 व 751/96 में वादी संख्या 01 का नाम केशुराम पुत्र नानू, वादी संख्या 02 का नाम किसना पुत्री नानू, वादी संख्या 03 का नाम बनाराम पुत्र नानू व वादी संख्या 04 का नाम रूगनाथ पुत्र नानू के नाम 1/5 हिस्से एवं खसरा संख्या 209 में वादी संख्या 01 का नाम केशाराम पुत्र नानुराम, वादी संख्या 02 का नाम किसनाराम पुत्र नानुराम, वादी संख्या 03 का नाम बन्नाराम पुत्र नानुराम व वादी संख्या 04 का नाम रूघनाथ पुत्र नानुराम के 1/7 हिस्से तथा खसरा संख्या 752/96 में वादी संख्या 01 का नाम केशुराम पुत्र नानू, वादी संख्या 02 का नाम किसना पुत्र नानू व वादी संख्या 04 का नाम रूगनाथ पुत्र नानू 1/3 हिस्से जाति जाट निवासी मगरासर तहसील सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानूराम व रघुनाथ पुत्र नानू राम जाति जाट है। केशु व केशाराम, केशाराम व किशना राम, बन्नाराम व बनाराम एवं रघुनाथ रघुनाथ नायक दोनों एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे केशाराम पुत्र नानू, किशनाराम पुत्र नानू, बन्नाराम पुत्र नानू, रूघनाथ पुत्र नानूराम के स्थान पर केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानू राम व रघुनाथ पुत्र नानूराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, निर्वाचन विभाग के पहचान प्रमाण पत्र की फोटोप्रति आदि दस्तावेजात में भी वादीगण का नाम केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानू राम व रघुनाथ पुत्र नानूराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

28/05/24

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू

Basant Adv.

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

आदेश

दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 120 खसरा संख्या 123 तादादी 1.7703 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 तादादी 3.0095 हैक्टेयर व खसरा संख्या 751/96 तादादी 3.6417 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 161 के खसरा संख्या 209 तादादी 9.5090 हैक्टेयर तथा खेत खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 752/96 तादादी 0.6196 हैक्टेयर वाके रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम केशाराम पुत्र नानू, किशनाराम पुत्र नानू, बनाराम पुत्र नानू, रूघनाथ पुत्र नानूराम के स्थान पर केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानू राम व रघुनाथ पुत्र नानूराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

28/09/24

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

अध्यक्ष
लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

Basant Adv.

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

सदस्य
लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जाब्ता दावानी)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 28.09.2024

केशुराम आदि बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 46 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रुहाजरी श्री रमेश विस्सु एड. मिनजानिब मुद्दई .. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 120 खसरा संख्या 123 तादादी 1.7703 हैक्टेयर, खसरा संख्या 189 तादादी 3.0095 हैक्टेयर व खसरा संख्या 751 / 96 तादादी 3.6417 हैक्टेयर व खेत खाता संख्या 161 के खसरा संख्या 209 तादादी 9.5090 हैक्टेयर तथा खेत खाता संख्या 47 के खसरा संख्या 752 / 96 तादादी 0.6196 हैक्टेयर वाके रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादीगण का नाम केशाराम पुत्र नानू, किशनाराम पुत्र नानू, बन्नाराम पुत्र नानू, रुघनाथ पुत्र नानूराम के स्थान पर केशु राम पुत्र नानू राम, किशना राम पुत्र नानू राम, बनाराम पुत्र नानू राम व रघुनाथ पुत्र नानूराम खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.............................मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक .... को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख28माह 09. 2024

(हस्ताक्षर) 28/09/24
न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
अध्यक्ष लोक अदालत सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

Basant Adv.
रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़
सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत		
बाबत इजराय हुक्मनामा			इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये